प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 12.04.2024

नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपये लेने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 शरदेन्दु तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 430/2023 धारा 417,420,406,467,468,471 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त सूर्य प्रताप मल्ल पुत्र श्री रामचन्द्र मल्ल निवासी ग्राम डिहाट पोस्ट जंगल कौडिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा की पत्नी को रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये ले लेने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता व आपराधिक इतिहास -

सूर्य प्रताप मल्ल पुत्र श्रीराम चन्द्र मल्ल निवासी ग्राम डिहाघाट पोस्ट जंगल कौडिया थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 430/2023 धारा 417,420,406,467,468,471 भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
मु0अ0सं0 524/2022 धारा 120बी, 420,467,468,471, भादवि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक जयन्त कुमार सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 शरदेन्दु तिवारी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का0 धनंजय कुमार पाण्डेय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का संजीव कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर